

चौ० चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
कृषि विज्ञान केन्द्र, फरीदाबाद

क्रमांक के.वी.के./फरीदाबाद/ 315

दिनांक : 19/11/2025

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, फरीदाबाद भोपानी फार्म पर निम्नलिखित कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक ठेकेदार अपनी कुटेशन कृषि विज्ञान केन्द्र, फरीदाबाद भोपानी फार्म के कार्यालय में दिनांक 10/12/2025 को 1030 बजे तक भेज दे। निविदायें उसी दिन सुबह 11.00 बजे खोली जाएगी। निविदायें खोलते समय यदि वह चाहें तो स्वयं उपस्थित रह सकता हैं।

कार्य

1. राया फसल में पानी लगाना (9 एकड़)
2. राया फसल में खाद डालना (9 एकड़)
3. राया फसल में विरलीकरण (9 एकड़)
4. राया फसल की निराई-गुड़ाई (9 एकड़)।
5. राया फसल में छिड़काव (9 एकड़)।
6. राया फसल की लेबर द्वारा कटाई (9 एकड़)।
7. राया फसल की श्रेषर द्वारा निकासी लेबर के साथ (9 एकड़)।
8. बाग में कस्सी द्वारा निराई-गुड़ाई (3.5 एकड़)।
9. आफिस के आस पास, लान, मेडों एवम् रास्तों की सफाई (6 माह)।

शर्तें

1. कार्यालय सर्विस चार्ज अलग से देगा अथवा कुटेशन सर्विस चार्ज के आधार पर छूटेगी।
2. कुटेशन 6 महीने के लिये मान्य होगी व श्रमिकों की संख्या कार्य के अनुसार समय-समय पर आवश्यकतानुसार नियत की जाएगी।

3. ठेकेदार के लिये यह अनिवार्य होगी कि वह श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन जो सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार तय होगी, देनी होगी।
4. यदि कोई ठेकेदार एक दिन में 20 या इससे अधिक श्रमिक कार्य पर लगाता है तो उसे ठेकेदार होने के लिए लाईसेंस लेना होगा जिसका सीधा सम्बन्ध लेबर कार्यालय से होगा।
5. कार्य पूर्ण करने की अवधि समय-समय पर सूचित की जाएगी जो ठेकेदार उस कार्य को समय पर पूरा नहीं करता उसका ठेका रद्द किया जाएगा।
6. ठेकेदार को 2 प्रतिशत इन्कम टैक्स देना होगा जो कि उसके बिल में से काट लिया जाएगा।
7. भुगतान कार्य पूर्ण होने पर या 100 श्रमिक दिन होने पर जो भी इसमें पहले होगा, किया जाएगा।
8. वरिष्ठ संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, फरीदाबाद को हक होगा कि वह छह महीने से पहले भी ठेका रद्द कर सकता है और बिना कारण निविदायें भी रद्द कर सकता है।
9. प्रत्येक ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक ठेके कानून की सब धाराओं का पालन करें तथा इनकी अवहेलना करने पर स्वयं उत्तरदायी होगा। इस सम्बन्ध में कृषि विज्ञान केन्द्र उत्तरदायी नहीं होगा।
10. ठेकेदार को Security के नोट पर 4000/- रु. (चार हजार) नकद या DD के रूप में Chief Scientist cum Head JPR Faridabad के नाम जमा करवाने होंगे।

वरिष्ठ संयोजक,
कृषि विज्ञान केन्द्र,
फरीदाबाद

Advised
19/11/2005